HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11929/2026
CNR: RJHC020645672026 | URN: CW / 26376U / 2026

Matadeen Sharma Son Of Late Shri Banshidhar Joshi, Resident Of Plot No. 25, Bajrang Vihar Colony, Murlipura Scheme, Jaipur (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. Manoj Kumar Gaur, Son Of Shri Matadeen Sharma,
2. Gulshan Kumar Gaur, Son Of Shri Matadeen Sharma,
3. Bhagwat Kumar Gaur, Son Of Shri Matadeen Sharma,
4. Smt. Meena Sharma Wife Of Shri Bhagwat Gaur, All Are Resident Of Plot No. 25, Bajrang Vihar, Murlipura Scheme, Jaipur (Raj.)
5. Mukesh Kumar Sharma, Son Of Shri Matadeen Sharma,
6. Rakesh Kumar Gaur Son Of Shri Matadeen Sharma, Both Are Resident Of Plot No. 25, Bajrang Vihar, Murlipura Scheme, Jaipur (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Arvind Kumar Arora
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/07/2026

इस याचिका के द्वारा याचिकाकार ने अपीलीय अधिकरण जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपील संख्या 61/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2026 जिसके द्वारा अयाचीगण की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः निस्तारण हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को रिमाण्ड किया गया है, को चुनौती दी गई है।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अंतर्गत

उपखण्ड मजिस्ट्रेट के आदेश की अपील जिला कलेक्टर को किए जाने का प्रावधान है। उनका तर्क है कि उक्त अधिनियम की धारा 16(4)(5) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपील को केवल स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का ही अधिकार है, प्रकरण को रिमाण्ड करने का अधिकार नहीं है। उनका तर्क है कि निम्न न्यायिक विनिश्चयों में भी यही स्पष्टः निर्णीत किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी जिला कलेक्टर को धारा 16(4)(5) माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण को रिमाण्ड करने की अधिकारिता नहीं है।

1. **अमनदीप सिंह–बनाम–अपीलीय अधिकरण**
   सीडब्ल्यू पी 22504–2026 आदेश दिनांक 23.07.2026
2. **श्रीमती नूर जहां–बनाम–उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**
   रिट सी संख्या 6213/2022 आदेश दिनांक 17.04.2023
3. **हरजिंदर कौर उर्फ राजिंदर कौर–बनाम–अपीलीय अधिकरण**
   सीडब्ल्यू पी 20769/2026 आदेश दिनांक 13.07.2026

उनका तर्क है कि ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर का आलौच्य आदेश दिनांक 04.06.2026 जो कि अयाचीगण की अपील स्वीकार कर मामले को पुनः निस्तारण हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड किया गया है, वह विधि विरूद्ध है।

विचार किया गया।

अयाचीगण को **तीन सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस** जारी हों।

याचिकाकार इस हेतु आदेशिका शुल्क अतिरिक्त प्रति पेश करें।

अंतरिम स्थगन पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में आगामी तिथि तक विद्वान अपीलीय अधिकरण जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपील संख्या 61/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2026 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने का आदेश दिया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

9/AJAY KUMAR SINGHAL